तलाक़े ग़ज़बान (क्रोध में दी गयी तलाक़)

25 वां फ़िक्ही सेमिनार आयोजित 5-7 फ़रवरी 2016 ई0 बदर पुर आसाम के विषयों में एक महत्वपूर्ण विषय तलाक़ ग़ज़बान का है, अर्थात क्रोध व प्रकोप की हालत में दी गयी तलाक़ का क्या हुक्म है। काफ़ी वाद विवाद और चिंतन मनन के बाद शरीक होने वाले जिस नतीजे पर पहुंचे वह निम्न हैं:

1- निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें शरअी तौर पर सर्वदा और मज़बूती अपेक्षित है और जिन बातों की गुंजाइश रखी गयी है उनमें तलाक़ सबसे अधिक अप्रिय अमल है जिसको ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अतः पति को चाहिए कि गुस्सा व क्रोध की हालत में अपने मन माष्तिक पर क़ाबू रखे और तलाक़ के शब्द अपनी ज़बान पर लाने से बचे।

2- ग़ुस्से की हालत में दी गयी तलाक़ शरअी तौर पर हो जाएगी, अलबत्ता यदि ग़ुस्सा पागल पन की हद तक पहुंच गया हो और पति ग़ुस्से की हालत में मानसिक सन्तुलन खो चुका हो, उसे यह मालूम न हो कि क्या कह रहा है और क्या कर रहा है तो ऐसी हालत में उसका हुक्म मजनूं (पागल) का होगा और उसकी दी गयी तलाक़, तलाक़ नहीं होगी।

☆☆☆

नोटः 25 वां फ़िक्ही सेमिनार (बदरपुर, आसाम) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1437 हि0 - 5-7 फ़रवरी 2016 ई0